संख्या– 89/अरसठ–3–2018–2041/2018

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3

लखनऊः दिनांकः 11 जनवरी, 2019

विषय–अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–शि0नि0(बे0)/68381/2018–19, दिनांक–19.12.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अशासकीय प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों की मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मानक व शर्ते शासनादेश संख्या–937/15–6–90–18 एस(7)/89, दिनांक 02 जुलाई, 1990 द्वारा निर्धारित की गयी थी। इस कम में उक्त शासनादेश दिनांक–02 जुलाई, 1990 एवं मान्यता सम्बन्धी पूर्व में निर्गत अन्य समस्त शासनादेशों को अवकमित करते हुए शासनादेश संख्या–418/79–6–2013–13 एस (7)/89, दिनांक 08 मई, 2013 तथा 419/79–6–2013–13 एस 7/89, दिनांक– 18 मई, 2013 द्वारा मान्यता सम्बन्धी मानकों एवं शर्तो का पुनः निर्धारण किया गया था।

2– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 एवं राज्य सरकार द्वारा पारित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 मे विहित प्राविधानों के दृष्टिगत प्रदेश में अशासकीय सहायता विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमावली एवं पूर्व में निर्गत विभागीय निर्देशों को अद्यतन किये जाने की आवश्यकता है। अतः सम्यक विचारोपरान्त अशासकीय विद्यालयों की मान्यता के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत सभी शासनादेशों को अवकमित करते हुए श्री राज्यपाल, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम–1972 की धारा–13 की उपधारा–1 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों को अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान करने के नियमों को निम्नानुसार बनाये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैः–

I– अशासकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों (नवीन) की मान्यता प्राप्त हेतु मानक एवं शर्तेः–

(1) विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट,1860 के अन्तर्गत पंजीकृत व नवीनीकृत हो।

(2) विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसिएशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।

(3) प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय में उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए उस विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध

Scanned with OKEN Scanner

कराये जायेंगे तथा जिन विषयों में अध्यापन के लिए ऐस विद्यालय को मान्यता दी गई हो उनके लिये बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

(4) मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

(5) सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।

(6) मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा शपथ–पत्र दिया जायेगा कि वह समय–समय पर निर्गत शासनादेशों, विभागीय आदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करेगा।

(7) भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधानित नीतियां तथा समय–समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(8) विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यावसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से संबंधित कर्मियों के आवास हेतु छूट रहेगी।

(9) विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया–कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा।

(10) विद्यालय भवन के अग्रभाग पर विद्यालय का नाम, मान्यता का वर्ष, विद्यालय कोड एवं मान्यता प्रदान करने वाली संस्था/निकाय का प्रतीक चिह्न (Logo) एवं नाम सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग–रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

(11) विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(12) बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) विद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–12(1)(सी.) के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिए जाने का शपथ–पत्र दिया जायेगा।

(14) **आवेदन की अर्हता:–** शिक्षा के क्षेत्र में रूचि रखने वाले किसी विधि मान्य पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा निर्धारित शिक्षा स्तर के विद्यालय मान्यता

प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं। निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित विद्यालय को निम्न प्रकार की संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की जायेगी:-

(1) प्राथमिक विद्यालय-(प्राथमिक स्तर की 5 कक्षायें).

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक/बालिका) (जू0हा0स्कूल स्तर की तीन कक्षायें)।

(15) **शिक्षा का माध्यमः-** हिन्दी/अंग्रेजी भाषा होगी तथा अकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जायेगी।

(16) विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।

(17) **प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की मान्यता:-** इसके लिए उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा:-

(क) **भवन :-** विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने पर ही मान्यता के लिये विचार किया जा सकता है। स्थानीय निकाय क्षेत्रान्तर्गत या विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत मान्यता के लिए उन्हीं प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जहां पर महायोजना/सेक्टर प्लान में भू-उपयोग विद्यालय के नाम अंकित होगा। विद्यालय का मानचित्र संगत प्राधिकारी से स्वीकृत होना अनिवार्य होगा।

(ख) विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय भवन के सम्बन्ध में संबंधित सहायक अभियंता से भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा। विद्यालय में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप भवन की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा निरीक्षण हेतु मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भवन निर्माण का निरीक्षण लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के सहायक अभियन्ता से अनिम्न अधिकारी द्वारा कराया जायेगा। निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय भवन की छत एवं दीवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती है और भवन में धूप एवं ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। कक्षा-कक्ष हवादार एवं रोशनीयुक्त हैं। एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन की सीढ़ियाँ एवं रैम्प, जो निकास मार्ग के रूप में प्रयुक्त हों रही हों, अद्यतन नेशनल बिल्डिंग कोड में निर्धारित मानक के अनुसार बनायी गयी हो, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में बच्चों के निकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

(ग) दिव्यांग बच्चों की विद्यालय में सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पूर्णतः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। विद्यालय भवन की मजबूती, सुरक्षा एवं रख-रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा।

(घ) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

(ङ.) **कक्षा–कक्ष का मानकः–** मान्यता के लिये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए, परन्तु कक्षा–कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए अर्थात् प्रत्येक कक्षा–कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए जिससे बच्चें कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियाँ सुविधापूर्ण ढंग से संचालित कर सकें। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्राओ को प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो।

(च) विद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय भी होना चाहिये।

(छ) प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग–अलग कक्ष उपलब्ध होना चाहिए।

(ज) छात्र/छात्राओं तथा अध्यापक/अध्यापिकाओं के पृथक–पृथक मूत्रालय, शौचालय एवं हाथ साफ करने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(झ) विद्यालय में पीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(ञ) **क्रीड़ा स्थलः–** खेलकूद के लिये विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के समीप पर्याप्त क्रीड़ा स्थल उपलब्ध होना चाहिए, जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र/छात्राएँ कर सकते हों।

(18) **पुस्तकालय, साज–सज्जा एवं उपकरणः–** विद्यालय में छात्रोपयोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त खेल–कूद का सामान, मानचित्र, विभिन्न शैक्षिक चार्ट, सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद पुस्तकें तथा पत्र–पत्रिकाओं आदि का होना भी आवश्यक है। विद्यालय में पाठ्यक्रमानुसार आवश्यक विज्ञान सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार भौगोलिक नक्शों, ग्लोब, विषय से संबंधित चार्ट उपलब्ध होने चाहिए। दृश्य एवं श्रव्य उपकरण (Audio–vidual instruments) आदि की व्यवस्था विद्यालय अपने आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत कर सकते हैं।

(19) **आवेदन शुल्कः–** प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क रू0 10000/– तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए रू0 15000/– संबंधित जनपद के राजकीय कोषागार में संगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

(20) **सुरक्षित कोषः–** प्राथमिक विद्यालय हेतु सुरक्षित कोष के रूप में रू0 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) की एन0एस0सी0/एफ0डी0 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु रू0–1,50,000/–(रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) की एन0एस0सी0/एफ0डी0 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से प्लेज्ड होगी।

(21) **मान्यता समितिः– प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता** पर निम्नलिखित समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगाः–

1–संबंधित जिले का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी– अध्यक्ष

2–संबंधित जिले के मुख्यालय पर तैनात खण्ड शिक्षा अधिकारी–सदस्य/सचिव

3--संबंधित जिले के प्राचार्य डायट द्वारा नामित प्रवक्ता– सदस्य

मान्यता समिति की बैठकें निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न होगी, जिसके आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों के मान्यता आदेश निर्गत किये जायेंगे।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता पर निम्नलिखित समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जायेगा:–

1– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)– अध्यक्ष
2– संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य/सचिव
3– जनपद के मुख्यालय पर तैनात खण्ड शिक्षा अधिकारी– सदस्य

मान्यता समिति की बैठकें निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न होगी तथा बैठक का कार्यवृत्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा अपने कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। कार्यवृत्त की प्रतियॉ संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर विद्यालयों की मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(22) **स्टाफः**– मान्यता के पश्चात् विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के अनुसार न्यूनतम स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए।

(23) **कर्मियों को देय वेतनः**– मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के कार्मिकों का वेतन भुगतान प्रबन्धतंत्र द्वारा अपने निजी स्रोत से किया जायेगा।

(24) **शिक्षकों की अर्हता :**– प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–1981 (अद्यतन संशोधित) में निहित है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली–1978 (यथासंशोधित) के अनुसार होंगी।

(25) **पाठ्य पुस्तकें**– मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

(26) **जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमतिः**– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग (सेक्शन) न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।

(27) विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।

(28) विद्यालय प्रबंधतंत्र द्वारा विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं का कक्षावार एवं विषयवार अधिगम स्तर एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये रखना अनिवार्य होगा।

(29) प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले समस्त अशासकीय विद्यालय स्ववित्त पोषित होंगे, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा अनुदान स्वीकृति हेतु उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

Scanned with OKEN Scanner

(30) **शुल्क/फीसः–** मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो विद्यालय स्टाफ के वेतन, अनुरक्षण व इससे संबंधित अन्य व्यय के लिए प्रयाप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा महंगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी, वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है:–
1– शिक्षण शुल्क, 2– महंगाई शुल्क, 3– विकास शुल्क, 4– बिजली, पानी आदि, 5– क्रीडा शुल्क, 6– परीक्षा/मूल्यांकन, 7– विद्यालय समारोह/उत्सव, 8– विशेष विषयों की शिक्षा – कम्प्यूटर/संगीत आदि।

नोटः– पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा वार्षिक आय में बचत का उपयोग विद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

II– पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालयों हेतु मानक एवं शर्तेः–

(1) यदि विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के क्रम में उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 लागू होने के पूर्व एवं इस शासनादेश के निर्गमन के पूर्व मान्यता प्राप्त एवं संचालित है तो उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक वर्ष के अन्दर उपर्युक्त प्रस्तर–2-(I) में वर्णित शर्तों को पूरा करते हुए सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) ऐसे विद्यालय, जो निर्धारित घोषणा पत्र के द्वारा यह सूचित करते हैं कि उनके द्वारा निर्धारित मानक/शर्तों को पूर्ण कर लिया गया है, उन विद्यालयों का संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 02 माह के अन्दर स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

(3) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण की तिथि के 30 दिन के भीतर जिन विद्यालयों द्वारा शर्तें पूर्ण कर ली गयी हैं, उनके संदर्भ में इस आशय का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी कर दिया जायेगा। विवादित मामलों में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) से आदेश प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।

(4) संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों की सूची भी तैयार की जायेगी, जो मान्यता की निर्धारित शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं। ऐसे विद्यालयों को कमियों के संबंध में सूचित किया जायेगा तथा विद्यालयवार कमियों का विवरण वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जायेगा। कमियों का निराकरण निर्धारित अवधि में संबंधित प्रबन्धतंत्र के द्वारा अनिवार्य रूप से कर लिया जायेगा।

(5) उपर्युक्तानुसार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी यदि विद्यालय निर्धारित मानकों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली लागू होने के उपरान्त इस प्रकार के विद्यालयों के संचालन पर रोक लगायी जायेगी और ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी, लेकिन कार्यवाही करने से पूर्व प्रश्नगत विद्यालय को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

III- मान्यता हेतु आवेदन करने और मान्यता प्रदान करने के संबंध में समय सारिणीः–

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबंधक/सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र–1 के अनुसार स्वघोषणा–सह आवेदन पत्र संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निम्न समय सारिणी में इंगित अवधि में प्राप्त कराया जायेगा तथा मान्यता संबंधी आवेदन पत्र का निस्तारण समय–सारिणी में इंगित तिथियों के अनुसार किया जायेगाः–

1.	संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना।	01 अप्रैल से 30 सितम्बर
2.	विलम्ब शुल्क रू0 10000/– के साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करना।	01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर
3.	आवेदन करने वाले विद्यालय का निरीक्षण	आवेदन की तिथि से 2 माह के अन्दर
4.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्था को कमी/शर्तें पूरी करने हेतु सूचित किया जाना।	निरीक्षण की तिथि से 15 दिन के अन्दर
5.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत शिक्षाधिकारी द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षणोपरान्त आवेदन पत्र की संस्तुति पर मान्यता समिति द्वारा निर्णय लेना।	निरीक्षण आख्या प्राप्त होने के पश्चात 1 माह के अन्दर
6.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता आदेश जारी करना।	मान्यता समिति की संस्तुति के 3 दिन के अन्दर

नोटः– मान्यता समिति की बैठकें प्रत्येक माह आहूत की जायेगी। निरीक्षण में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर मान्यता समिति द्वारा संस्तुति दी जायेगी, तत्पश्चात मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा तथा निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूरा नहीं करने वाले विद्यालयों को कमियों को पूरा कराकर अगली आहूत बैठक में परीक्षणोंपरान्त निर्णय लेकर मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

IV- अस्थायी/स्थायी मान्यताः–

निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता प्रथमतः एक वर्ष के लिए दी जायेगी। एक वर्ष के पश्चात मान्यता से संबंधित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।

V- विद्यालय की मान्यता का प्रत्याहरणः–

(1) जहाँ जिला शिक्षा अधिकारी के पास स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के आधार पर लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने हेतु यह विश्वास करने का कारण हो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 के नियम 11 के अधीन मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय ने मान्यता की शर्तों में से

Scanned with OKEN Scanner

एक या उससे अधिक शर्तों का उल्लंघन किया है अथवा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों एवं मानकों को पूर्ण करने में विफल हो गया है तो वह निम्नवत् कार्यवाही करेगा:–

(क) मान्यता स्वीकृति की शर्तों के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए विद्यालय को नोटिस जारी करेगा और उससे एक माह के अन्दर स्पष्टीकरण मांगेगा।

(ख) यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाया जाय या निर्धारित समयावधि में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो जिला शिक्षा अधिकारी किसी ऐसे तीन सदस्यों की समिति द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करायेगा, जिसमें सरकारी प्रतिनिधि और एक शिक्षाविद् होगा। समिति विद्यालय की सम्यक् जाँच कर, मान्यता जारी रखने या समाप्त करने की संस्तुति के साथ अपनी आख्या ऐसे निरीक्षण की तिथि से 20 दिन की अवधि के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। ऊपर सन्दर्भित समिति का गठन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा एवं जिला मजिस्ट्रेट को समिति के सदस्यों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

(2) समिति की संस्तुतियों के आधार पर, जिला शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विद्यालय से स्पष्टीकरण की अपेक्षा करते हुए 10 दिन के भीतर पत्र भेजकर विद्यालय को स्पष्टीकरण देने के लिए 30 दिन का समय देगा और प्राप्त स्पष्टीकरण का सम्यक् परीक्षण करके अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अभिलेखों/दस्तावेजों के आधार पर अपनी संस्तुति राज्य के शिक्षा विभाग को एक माह की अवधि के भीतर प्रेषित करेगा:

परन्तु यह कि जिला मजिस्ट्रेट का यह प्राधिकार होगा कि वह समिति की संस्तुति का राज्य शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किये जाने के पूर्व पुनः परीक्षण करा लें।

(3) उपनियम (2) में सन्दर्भित संस्तुतियों के आधार पर राज्य का शिक्षा विभाग संस्तुतियां प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर विनिश्चय करेगा और उक्त के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेगा।

(4) राज्य के शिक्षा विभाग के विनिश्चय के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी, विद्यालय को प्रदान की गयी मान्यता रद्द करने का मुखरित आदेश विनिश्चय की प्राप्ति के दिनांक से 07 दिन के भीतर पारित करेगा। मान्यता रद्द किये जाने का आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षणिक सत्र से प्रचालित होगा तथा उसमें ऐसे पड़ोसी विद्यालय भी विनिर्दिष्ट होंगे, जिनमें मान्यता रद्द किये गये विद्यालयों के बच्चों का प्रवेश किया जायेगा।

(5) उपनियम (4) के अंतर्गत किया गया आदेश सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी संसूचित किया जायेगा तथा उसे वेबसाइट पर प्रदर्शन के माध्यम से सार्वजनिक किया जायेगा।

(6) मान्यता प्रत्याहरण विषयक उपर्युक्त कार्यवाही में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–18 (5) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

VI- गैर मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संचालन अवैधानिक :

यदि प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का संचालन बिना किसी मान्यता के किया जा रहा है तो उसका संचालन नियम विरूद्ध एवं अवैधानिक

समझा जायेगा। ऐसे विद्यालयों के संचालन को तत्काल प्रतिबंधित करते हुए संबंधित प्रबन्धाधिकरण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।

3— कृपया उपर्युक्त नियमों से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराते हुए भविष्य में इन नियमों के अनुसार ही अग्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए मान्यता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक–(प्रपत्र–1)

भवदीय,
11.01.2019
(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/कार्मिक विभाग/न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
2–अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3–समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5–राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
6–निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ।
7–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
8–निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0।
9–निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0।
10–सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज।
11–अपर निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
12–समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)।
13–समस्त प्राचार्य/उप प्राचार्य, डायट, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा)।
14–समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा)।
15–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा)।
16–समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा)।
17–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

Scanned with OKEN Scanner